अनुदान संख्या 97 - चंडीगढ़
GRANT No. 97 - CHANDIGARH

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged-*				
मूल	*Original*	*88,79,00*	*92,82,00*	*112,80,13*	*+19,98,13*
पूरक	*Supplementary*	*4,03,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	2091,32,00	2162,29,00	2118,95,50	-43,33,50
पूरक	Supplementary	70,97,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				9,11,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित -	*Charged-*		*10,00*	*10,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted-		549,99,00	520,56,90	-29,42,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, यद्यपि मार्च, 2012 में *₹403.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त किया गया था, तथापि, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *₹1998.13 लाख* अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय *₹1998,13,168* था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करने की आवश्यकता होती है।**

अधिक व्यय/बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, although supplementary *appropriation* of *₹403.00 lakhs* was obtained in March, 2012, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *₹1998.13 lakhs* (actual excess was *₹1998,13,168*). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
क-गृह मंत्रालय	**A- Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष “2014”	Major Head “2014”				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	*O.*	*8707.00*			
पू.	*S.*	*403.00*	*9122.00*	*11120.13*	*+1998.13*
पु.	*R.*	*12.00*			

(I) "उच्च न्यायालय - स्थापना" के अंतर्गत *₹2070.13 लाख* का अधिक व्यय *(₹403.00 लाख* के पूरक *विनियोग* सहित *₹9020.00 लाख* के कुल स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) वेतन और भत्तों, प्रकाशन कार्य और अधिक चिकित्सा दावों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Under "High Courts - Establishment" - excess of *₹2070.13 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *₹9020.00 lakhs* including supplementary *appropriation* of *₹403.00 lakhs)* was due to requirement of additional funds towards pay and allowances, publication work and receipt of more medical claims.

2. उपर्युक्त अधिक व्यय बचत द्वारा आंशिक रूप से निम्नवत प्रतिसंतुलित हो गया:-

2. The above excess was partly offset by saving as under:-

(I) ₹20.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹20.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹4333.50 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹7097.00 लाख के पूरक अनुदान का 61 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹4333.50 lakhs) constituted 61 percent of the supplementary grant of ₹7097.00 lakhs obtained in March, 2012 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
क-गृह मंत्रालय	**A- Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	2873.00	3143.63	3118.93	- 24.70
पु.	R.	270.63			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	20242.00	21140.52	20679.90	-460.62
पु.	R.	898.52			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	1711.00	2396.26	2395.53	-0.73
पू.	S.	100.00			
पु.	R.	585.26			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय	**C-Ministry of Rural Development**					
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"					
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes					
मू.	O.	447.00				
				913.67	1004.66	+90.99
पु.	R.	466.67				
घ-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**					
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"					
विद्युत	Power					
मू.	O.	57417.00				
पू.	S.	6997.00		65402.01	64704.38	-697.63
पु.	R.	988.01				
ङ-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	**E-Ministry of New and Renewable Energy**					
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"					
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy					
मू.	O.	1650.00				
				1236.93	1236.92	-0.01
पु.	R.	-413.07				
झ-उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**I- Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution**					
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"					
सिविल पूर्ति	Civil Supplies					
मू.	O.	447.00				
				451.97	451.18	-0.79
पु.	R.	4.97				
ञ-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J- Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"					
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	18041.00				
				17449.12	16114.65	-1334.47
पु.	R.	-591.88				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ट-विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	**K-Department of School Education and Literacy**				
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	12720.00	14039.42	12812.93	-1226.49
पु.	R.	1319.42			
मुख्य शीर्ष "2236" पोषाहार	Major Head "2236" Nutrition				
मू.	O.	780.00	530.00	529.99	-0.01
पु.	R.	-250.00			
ठ-उच्चतर शिक्षा विभाग	**L-Department of Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	21719.00	17943.13	17945.90	+2.77
पु.	R.	-3775.87			
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	3845.00	4039.32	4170.22	+130.90
पु.	R.	194.32			
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	**N-Ministry of Youth Affairs and Sports**				
मुख्य शीर्ष "2204" खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	1835.00	1286.69	1281.96	-4.73
पु.	R.	-548.31			
ण-संस्कृति मंत्रालय	**O-Ministry of Culture**				
मुख्य शीर्ष "2205" कला एवं संस्कृति	Major Head "2205" Arts and Culture				
मू.	O.	1424.00	1305.32	1301.69	-3.63
पु.	R.	-118.68			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
ध-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**S- Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport				
मू.	O.	12694.00	14066.65	14066.49	-0.16
पु.	R.	1372.65			
न-पर्यटन मंत्रालय	**T- Ministry of Tourism**				
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	508.00	334.52	500.17	+165.65
पु.	R.	-173.48			
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2058" लेखन सामग्री और मुद्रण	Major Head "2058" Stationery and Printing				
मू.	O.	1678.00	1829.99	1829.84	-0.15
पु.	R.	151.99			
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण-कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	12101.00	11416.64	11408.74	-7.90
पु.	R.	-684.36			
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	3407.00	3777.00	3771.62	-5.38
पु.	R.	370.00			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	2134.00	2274.23	2272.58	-1.65
पु.	R.	140.23			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	20874.00	20394.49	20394.33	-0.16
पु.	R.	-479.51			
ब-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**W-Ministry of Social Justice and Empowerment**				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	1368.00	1517.11	1516.49	-0.62
पु.	R.	149.11			
भ-संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**X-Ministry of Communications and Information Technology**				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	900.00	483.00	482.76	-0.24
पु.	R.	-417.00			

(I) ₹3297.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3287.00 लाख पंजाब विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान का भुगतान समाप्त कर दिए जाने के कारण अकेले मुख्य शीर्ष "2202" - "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹3297.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹3287.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2202" - "University and Higher Education - Assistance to Universities - Punjab University, Chandigarh" - due to discontinuation of payment of Grants-in-aid to Punjab University.

(II) मुख्य शीर्ष "2055" - "जिला पुलिस - चंडीगढ़" के अंतर्गत ₹105.10 लाख की बचत (₹15268.87 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और चिकित्सा दावों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2055" - "District Police - Chandigarh" - saving of ₹105.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15268.87 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards medical claims.

(III) मुख्य शीर्ष "2810" - "ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - निदर्शन और प्रौद्योगिकी" के अंतर्गत ₹655.08 लाख की बचत (₹1632.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ शहर को आदर्श सौर शहर के रूप में विकसित करने के लिए

(III) Under Major Head "2810" – "Renewable Energy for Rural Applications – Demonstration and Technology" – saving of ₹655.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1632.00 lakhs) was due to

भारत सरकार द्वारा 50% भाग की अदायगी किए जाने के कारण हुई।

payment of 50% shares by Government of India for the development of Chandigarh City as a Model Solar City.

(IV) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय" -

(A) "Urban Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries –

(क) "सामान्य अस्पताल, चंडीगढ़" - ₹183.56 लाख की बचत (₹3500.59 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम चिकित्सा दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "General Hospital, Chandigarh" – saving of ₹183.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.59 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical claims.

(ख) "अन्य औषधालय" - ₹114.54 लाख की बचत (₹ 1240.93 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और प्रशासनिक कारणों की वजह से कम सामग्री की खरीद किए जाने के कारण हुई।

(b) "Other Dispensaries" – saving of ₹114.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1240.93 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less purchase of material owing to administrative reasons.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय" - ₹1398.56 लाख की बचत (₹11667.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सैक्टर-32 चंडीगढ़ में चिकित्सकों और नर्सों के पदों का सर्जन न किए जाने/ रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(B) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Government Medical College" - saving of ₹1398.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11667.00 lakhs) was due to non-creation/filling up of vacant posts of Doctors and Nurses in Government Medical College and Hospital, Sector 32, Chandigarh.

(V) मुख्य शीर्ष "2236" - "पोषक खाद्य एवं पेय पदार्थों का वितरण - मध्याह्न भोजन - बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन" के अंतर्गत ₹250.01 लाख की बचत (₹780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों की संख्या कम होने और परिवहन लागत में कमी आने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2236" - "Distribution of Nutritious Food and Beverages - Mid-Day Meals - Mid-Day Meals for Children" - saving of ₹250.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹780.00 lakhs) was due to less number of beneficiaries and decrease in transportation cost.

(VI) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "2202" – savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - अन्य स्कीमें" - ₹1256.50 लाख की बचत (₹2220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत सरकारी भाग का वास्तविक आधार पर अंशदान किए जाने के कारण हुई।

(A) "Elementary Education – Other Expenditure – Other Schemes" – saving of ₹1256.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2220.00 lakhs) was due to contribution towards Government's share on actual basis under 'Sarv Shiksha Abhiyan'.

(खा) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” -

(क) “सरकारी महाविद्यालय और संस्थान - कला और विज्ञान महाविद्यालय” - ₹257.99 लाख की बचत (₹4963.17 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सर्जन और स्कीम का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुई।

(ख) “गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता - निजी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान” - ₹341.00 लाख की बचत (₹4450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के गैर-शिक्षक कार्मिकों के वेतनमानों का 01.01.2006 से पुनरीक्षण न किए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “2204” - “शारीरिक शिक्षा - खेलकूद अनुशिक्षण केन्द्र” के अंतर्गत ₹473.88 लाख की बचत (₹1253.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से सामग्री की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष “2205” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “कला एवं संस्कृति का संवर्धन - अन्य स्कीमें” - ₹134.90 लाख की बचत (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कला और संस्कृति संबंधी कम क्रियाकलाप होने और लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय - चित्र एवं कला दीर्घा” - ₹106.54 लाख की बचत (₹385.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समूह ‘ग’ तथा ‘घ’ कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरे जाने और निदेशक संग्रहालय के वेतन का आहरण चिकित्सा महाविद्यालय से किए जाने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष “3055” - “चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम - अन्य मदें” के अंतर्गत ₹101.00 लाख की बचत (₹111.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरानी बसों का प्रतिस्थापन न होने के कारण हुई।

(X) मुख्य शीर्ष “3452” - “सामान्य - संवर्धन और प्रचार - पर्यटन सुविधाएं” के अंतर्गत ₹177.02 लाख की बचत (₹310.00

(B) “University and Higher Education” -

(a) “Government Colleges and Institutes – Arts and Science Colleges” – saving of ₹257.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4963.17 lakhs) was due to non-creation of posts and non-implementation of scheme.

(b) “Assistance to Non-Government Colleges and Institutes - Grants-in-aid to Private Colleges” - saving of ₹341.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4450.00 lakhs) was due to non-revision of pay scales of Non-Teaching Staff of Government Aided Colleges w.e.f. 01.01.2006.

(VII) Under Major Head “2204” – “Physical Education – Sports Coaching Centre” - saving of ₹473.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1253.60 lakhs) was due to non-finalisation of purchase of material owing to administrative reasons.

(VIII) Under Major Head “2205” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Promotion of Arts and Culture – Other Schemes” - saving of ₹134.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to less Art and Culture activities and less number of beneficiaries.

(B) “Other Expenditure - Picture and Art Gallery” - saving of ₹106.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹385.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of Group ‘C’ and ‘D’ employees and drawl of salary of Director Museum from Medical College.

(IX) Under Major Head “3055” – “Chandigarh Transport Undertaking – Other Items” – saving of ₹101.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111.00 lakhs) was due to non-replacement of old buses.

(X) Under Major Head “3452” - “General - Promotion and Publicity - Tourism Facilities” - saving

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में पर्यटन मेले मनाए जाने के कारण हुई।

of ₹177.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹310.00 lakhs) was due to less celebration of Tourist fairs.

(XI) मुख्य शीर्ष "2059" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(XI) Under Major Head "2059" – savings occurred under the following heads: -

(का) "सामान्य" -

(A) "General" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

(a) "Direction and Administration" –

(i) "कार्यकारी स्थापना" - ₹140.20 लाख की बचत (₹ 2377.93 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(i) "Executive Establishment" - saving of ₹140.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2377.93 lakhs);

(ii) "मुख्य वास्तुविद की स्थापना" - ₹166.41 लाख की बचत (₹571.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "Chief Architect's Establishment" - saving of ₹166.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹571.00 lakhs); and

(ख) "अनुरक्षण और मरम्मत" -

(b) "Maintenance and Repairs" –

(i) "स्थापना" - ₹246.37 लाख की बचत (₹3931.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) "Establishment" - saving of ₹246.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3931.75 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts.

(ii) "भवनों का अनुरक्षण और उनकी मरम्मत" - ₹219.73 लाख की बचत (₹2921.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुरक्षण कार्य के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) "Repairs and Maintenance of Buildings" - saving of ₹219.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2921.25 lakhs) was due to requirement of less funds towards maintenance work.

(XII) मुख्य शीर्ष "2217" - "सामान्य - स्थानीय निकायों, निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्ड आदि को सहायता - नगर निगम, चंडीगढ़" के अंतर्गत ₹400.00 लाख की बचत (₹19565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की दो नई परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(XII) Under Major Head "2217" – "General – Assistance to Local Bodies, Corporation, Urban Development Authorities, Town, Improvement Board etc. – Municipal Corporation, Chandigarh" – saving of ₹400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19565.00 lakhs) was due to non-finalisation of two new Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) projects.

(XIII) मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक कल्याण - विकलांगों का कल्याण - मंदबुद्धि बच्चों का संस्थान" के अंतर्गत ₹115.83 लाख की बचत (₹497.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों

(XIII) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped - Institute for Mentally Retarded Children" - saving of ₹115.83 lakhs (against

को न भरे जाने और कम चिकित्सा दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(XIV) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग" के अंतर्गत ₹417.24 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुई।

(XV) दस शीर्षों के अंतर्गत ₹740.45 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और ये स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक थी।

4.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" - "दीवानी और सत्र न्यायालय - स्थापना" - ₹210.81 लाख का अधिक व्यय (₹1060.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने तथा अधिक चिकित्सा दावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" -

(क) "पुलिस कार्मिकों का कल्याण - प्रशिक्षण और शिक्षा" - ₹364.99 लाख का अधिक व्यय (₹70.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भर्ती पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण - पुलिस बल का आधुनिकीकरण" - ₹204.76 लाख का अधिक व्यय (₹1871.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए पदों का सर्जन होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2070" - "होम गार्ड - चंडीगढ़" - ₹570.30 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1266.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) होम गार्ड की मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण होने और बकायों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

the sanctioned provision of ₹497.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less medical claims.

(XIV) Under Major Head "3451" – 'Secretariat – Department of Information and Technology" – saving of ₹417.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-implementation of some of the programmes/schemes of Information Technology.

(XV) Under ten heads savings of ₹740.45 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 11 percent to 43 percent of the sanctioned provision

4.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" - "Civil and Sessions Courts - Establishment" - excess of ₹210.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1060.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances and receipt of more medical claims.

(B) Major Head "2055" -

(a) "Welfare of Police Personnel - Training and Education" - excess of ₹364.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards training of newly recruited police personnel.

(b) "Modernization of Police Force - Modernization of Police Force" - excess of ₹204.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1871.00 lakhs) was due to creation of new posts.

(C) Major Head "2070" –"Home Guards – Chandigarh" - excess of ₹570.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1266.00 lakhs including supplementary grant of ₹100.00 lakhs) was due to revision in rates of wages of Home Guards and requirement of additional funds towards payment of arrears.

(घा) मुख्य शीर्ष "2515" - "अन्य व्यय - ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम" - ₹572.33 लाख का अधिक व्यय (₹368.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र के गांवों में विभिन्न कार्यों के निष्पादन और उनको पूरा करने के कारण हुआ।

(D) Major Head "2515" - "Other Expenditure - Rural Works Programme" - excess of ₹572.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹368.00 lakhs) was due to execution and completion of various works in UT villages.

(ङ) मुख्य शीर्ष "2801" - "पारेषण और वितरण - चंडीगढ़ में पारेषण और वितरण - विद्युत का वितरण" - ₹290.38 लाख का अधिक व्यय (₹6997.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹64414.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और अन्य अभिकरणों से अधिक विद्युत का क्रय किए जाने और विद्युत तथा जल प्रभारों का भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

(E) Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - excess of ₹290.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹64414.00 lakhs including supplementary grant of ₹6997.00 lakhs) was due to purchase of more power from National Thermal Power Corporation and other agencies and payment of electricity and water charges.

(चा) मुख्य शीर्ष "2810" - "अन्य व्यय - सौर जल तापीय प्रणाली" - ₹242.00 लाख का अधिक व्यय (₹10.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ में सौर तापीय प्रणाली को विकसित करने के कारण हुआ।

(F) Major Head "2810" - "Other Expenditure - Solar Water Heating System" - excess of ₹242.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10.00 lakhs) was due to development of solar heating system in Chandigarh.

(छा) मुख्य शीर्ष "3456" - "अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" - ₹112.30 लाख का अधिक व्यय (₹20.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और खाद्यान्नों की खरीद के कारण हुआ।

(G) Major Head "3456" - "Other Expenditure - Strengthening of Public Distribution System" - excess of ₹112.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20.00 lakhs) was due to strengthening of Public Distribution System and purchase of food grains.

(जा) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "प्रारंभिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - प्राथमिक विद्यालय" - ₹1457.92 लाख का अधिक व्यय (₹9800.83 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय" - ₹387.33 लाख का अधिक व्यय (₹6489.43 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वेतन और भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और अधिक चिकित्सा दावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(H) Major Head "2202" –

(a) "Elementary Education – Direction and Administration – Primary Schools" – excess of ₹1457.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9800.83 lakhs); and

(b) "Secondary Education – Government Secondary Schools- Secondary Schools" – excess of ₹387.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6489.43 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards pay and allowances and receipt of more medical claims.

(झा) मुख्य शीर्ष "2203" -

(I) Major Head "2203" -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - तकनीकी शिक्षा निदेशालय'' - ₹157.79 लाख का अधिक व्यय (₹118.04 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन होने के कारण हुआ।

(a) "Direction and Administration - Directorate of Technical Education" - excess of ₹157.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹118.04 lakhs) was due to implementation of Technical Education Quality Improvement Programme.

(ख) ''इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान - पंजाब इंजीनियरी महाविद्यालय'' - ₹269.72 लाख का अधिक व्यय (₹2050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजाब इंजीनियरी महाविद्यालय में विकास कार्य पूरा होने और मंहगाई भत्ते तथा वेतन बकायों के वास्तविक भाग का भुगतान करने के कारण हुआ।

(b) "Engineering/Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College" - excess of ₹269.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2050.00 lakhs) was due to completion of development work in Punjab Engineering College and actual share for payment of dearness allowance and salary arrears.

(ञ) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम'' -

(J) Major Head "3055" – "Chandigarh Transport Undertaking" –

(क) ''प्रचालन'' - ₹1238.80 लाख का अधिक व्यय (₹10194.78 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट्स की खपत में वृद्धि होने, मूल्य वृद्धि होने तथा मंहगाई भत्ते और वेतन बकायों के भुगतान के कारण हुआ।

(a) "Operation" – excess of ₹1238.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10194.78 lakhs) was due to increase in consumption of Petrol, Oil and Lubricants and price rise and payment of dearness allowance and salary arrears.

(ख) ''मरम्मत और अनुरक्षण'' - ₹222.94 लाख का अधिक व्यय (₹1939.26 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन बसों की वार्षिक अनुरक्षण संविदा और मंहगाई भत्ता बकायों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) "Repairs and Maintenance" - excess of ₹222.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1939.26 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Annual Maintenance Contract of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission buses and payment of dearness allowance arrears.

(ट) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - संवर्धन और प्रचार - खाद्य शिल्प संस्थान का विकास'' - ₹180.00 लाख का अधिक व्यय (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) होटल प्रबंधन संस्थान, सैक्टर-42, चंडीगढ़ को सुदृढ़ करने के कारण हुआ।

(K) Under Major Head "3452" - "General - Promotion and Publicity - Development of Food Craft Institute" - excess of ₹180.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to strengthening the Institute of Hotel Management of Chandigarh, Sector - 42.

(ठ) मुख्य शीर्ष ''2058'' - ''लेखन सामग्री भण्डारों का क्रय और पूर्ति - लेखन सामग्री भण्डार'' - ₹148.17 लाख का अधिक व्यय (₹218.45 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लेखन सामग्री के क्रय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(L) Major Head "2058" - "Purchase and Supply of Stationery Stores - Stationery Stores" - excess of ₹148.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹218.45 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of stationery articles.

(डा) मुख्य शीर्ष "2215" - "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" - ₹184.28 लाख का अधिक व्यय (₹272.14 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मलजल और और सफाई सेवाओं के अनुरक्षण में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(M) Major Head "2215" - "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Expenditure in U.T. without Legislature" - excess of ₹184.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹272.14 lakhs) was due to increase in maintenance of sewerage and sanitation services.

(ढा) मुख्य शीर्ष "2216" - "सामान्य पूल आवास - अनुरक्षण और मरम्मत - अन्य अनुरक्षण संबंधी व्यय" - ₹157.35 लाख का अधिक व्यय (₹1916.47 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी का पुनरीक्षण होने और अनुरक्षण कार्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(N) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹157.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1916.47 lakhs) was due to revision of wages of daily wage employees and increase in maintenance work.

(णा) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को अनुग्रही अदायगी" - ₹213.56 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण हुआ।

(O) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programme - Other Expenditure - Ex-gratia payment to the Family of deceased Government Servant" - excess of ₹213.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was due to increase in number of beneficiaries.

(II) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹310.25 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तक था।

(II) Under five heads excess of ₹310.25 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 15 percent to 31 percent of the sanctioned provision.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
क-गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	3080.00	3015.19	1955.93	-1059.26
पु.	R.	-64.81			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	3030.00	3268.42	3580.46	+312.04
पु.	R.	238.42			
घ- विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	3300.00	3089.00	3014.00	-75.00
पु.	R.	-211.00			
च-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**F-Ministry of Environment and Forests**				
मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wildlife				
मू.	O.	100.00	110.00	2365.47	+2255.47
पु.	R.	10.00			
ज-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**J-Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	3427.00	3139.26	1932.12	-1207.14
पु.	R.	-287.74			
ठ-उच्चतर शिक्षा विभाग	**L- Department of Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture				
मू.	O.	3173.00	3340.21	2785.55	-554.66
पु.	R.	167.21			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	**N- Ministry of Youth Affairs and Sports**				
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture				
मू.	O.	715.00	786.50	847.39	+60.89
पु.	R.	71.50			
ण-संस्कृति मंत्रालय	**O-Ministry of Culture**				
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture				
मू.	O.	233.00	138.97	81.25	-57.72
पु.	R.	-94.03			
ध-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	509.00	438.82	321.85	-116.97
पु.	R.	-70.18			
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U- Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	22506.00	22650.00	22890.18	+240.18
पु.	R.	144.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	13293.00	13848.92	11265.07	-2583.85
पु.	R.	555.92			

ब-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Society and Welfare				
मू.	O.	355.00	210.90	103.09	-107.81
पु.	R.	-144.10			

(I) ₹91.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राज्य पुलिस - अन्य संबद्ध कार्य" - ₹1008.61 लाख की बचत (₹2580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा उपस्करों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(खा) "पुलिस आवास - भवन" - ₹115.46 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप विलम्ब से दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4801" - "पारेषण और वितरण - उचंत - स्टाक" के अंतर्गत ₹200.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक निर्णय की वजह से मीटरों तथा ट्रांसफार्मरों के क्रय संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹91.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under Major Head "4055" – savings occurred under the following heads:-

(A) "State Police – Other Allied Works" – saving of ₹1008.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2580.00 lakhs) was due to less purchase of security equipment by the Police Department.

(B) "Police Housing – Buildings" – saving of ₹115.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to late finalisation of tenders by Union Territory Administration.

(III) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution – Suspense – Stock" - saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals relating to purchase of meters and transformers owing to administrative decision.

(IV) मुख्य शीर्ष "4210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/500 पलंगों वाला दूसरा सामान्य अस्पताल, सैक्टर-32, चंडीगढ़" - ₹745.11 लाख की बचत (₹1862.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्लॉक ई, सरकारी बहु विशेषज्ञता अस्पताल, सैक्टर-32, चंडीगढ़ की साज-सज्जा संबंधी मदों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य मदें" - ₹753.85 लाख की बचत (₹1552.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक निर्णय की वजह से मोटर वाहनों और अस्पताल संबंधी उपस्करों की खरीद संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "4202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "तकनीकी शिक्षा - पालिटेक्निक्स - भवन" - ₹149.63 लाख की बचत (₹901.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक निर्णय की वजह से मशीनरी की खरीद के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य शिक्षा - विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा - भवन" - ₹573.60 लाख की बचत (₹1028.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "कला और संस्कृति - अन्य व्यय - भवन" - ₹108.95 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक निर्णय की वजह से कार्य विलम्ब से आरंभ होने के कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष "5055" - "बेड़े का अधिग्रहण - चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम" के अंतर्गत ₹219.19 लाख की बचत (₹245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से नई बसों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research – Allopathy" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital Sector-32, Chandigarh" - saving of ₹745.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1862.00 lakhs) was due to late administrative approval for furnishing items of Block E, Government Multi Speciality Hospital, Sector - 32, Chandigarh.

(B) "Other Items" - saving of ₹753.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1552.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals relating to purchase of motor vehicles and hospital equipment owing to administrative decision.

(V) Under Major Head "4202" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Technical Education - Polytechnics - Buildings" – saving of ₹149.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹901.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of machinery owing to administrative decision.

(B) "General Education - University and Higher Education – Buildings" – saving of ₹573.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1028.00 lakhs); and

(C) "Arts and Culture – Other Expenditure – Buildings" – saving of ₹108.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to late start of work owing to administrative decision.

(VI) Under Major Head "5055" – "Acquisition of Fleet - Chandigarh Transport Undertaking" – saving of ₹219.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹245.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of new buses owing to administrative reasons.

(VII) मुख्य शीर्ष "4217" - "राज्य राजधानी विकास" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VII) Under Major Head "4217" – "State Capital Development" - savings occurred under the following heads:-

(का) "भूमि - अधिग्रहण" - ₹2254.65 लाख की बचत (₹7017.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भू-स्वामियों से कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Land - Acquisitions" - saving of ₹2254.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7017.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the land owners.

(खा) "मशीनरी और उपस्कर - क्रय" - ₹119.18 लाख की बचत (₹124.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक निर्णय की वजह से मशीनरी की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(B) "Machinery and Equipment - Purchases" - saving of ₹119.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹124.00 lakhs) was due to less purchase of machinery owing to administrative decision.

(गा) "अन्य व्यय - अन्य विकास स्कीमें" - ₹290.28 लाख की बचत (₹629.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक निर्णय की वजह से कार्य विलम्ब से आरंभ करने के कारण हुई।

(C) "Other Expenditure – Other Development Schemes" – saving of ₹290.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹629.00 lakhs) was due to late start of work owing to administrative decision.

(VIII) मुख्य शीर्ष "4235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत ₹251.91 लाख की बचत (₹355.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक निर्णय की वजह से निविदाओं को अंतिम रूप विलम्ब से दिए जाने और वाहनों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "4235" – "Other Social Security and Welfare Programme – Other Expenditure - Buildings" – saving of ₹251.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹355.00 lakhs) was due to late finalisation of tenders and non-finalisation of purchase of vehicles owing to administrative decision.

(IX) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹461.20 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम तथा ये स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थीं।

(IX) Under six heads savings of ₹461.20 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 29 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

6.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

6.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - न्याय प्रशासन - ₹626.04 लाख का अधिक व्यय (₹2936.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए और उपभोक्ता फोरम पर जारी कार्यों के कारण हुआ।

(A) Major Head "4059" – "Other Buildings – Construction – Administration of Justice" – excess of ₹626.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2936.00 lakhs) was due to completion of various works of Punjab and Haryana High Court and ongoing works on consumer forum.

(खा) मुख्य शीर्ष "4406" - "वानिकी - वन संरक्षण, विकास और पुनरुदभवन - भूमि का अधिग्रहण" - ₹2265.47 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भू-स्वामियों से अधिक दावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "4406" – "Forestry – Forest Conservation, Development and Regeneration – Acquisition of Land" – excess of ₹2265.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was due to receipt of more claims from the land owners.

(गा) मुख्य शीर्ष "4202" -

(क) "प्रारम्भिक शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा - भवन" - ₹318.49 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न विद्यालयों में भवनों और अतिरिक्त कमरों के निर्माण के कारण हुआ।

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं - अन्य व्यय - भवन" - ₹132.39 लाख का अधिक व्यय (₹715.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सैक्टर-16, चंडीगढ़ में क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइटों को लगाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "5055" - "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम - वर्कशॉप का विस्तार और विकास" - ₹114.19 लाख का अधिक व्यय (₹48.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्कशॉप के लिए मशीनरी और उपस्कर की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - सामान्य पूल आवास - सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास" - ₹390.18 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी गृहों का निर्माण और उन्नयन किए जाने के कारण हुआ।

(चा) मुख्य शीर्ष "4217" - "राज्य राजधानी विकास - निर्माण - अन्य स्कीमें" - ₹542.22 लाख का अधिक व्यय (₹5325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी विकास के जारी कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹165.55 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत और 57 प्रतिशत था।

(C) Major Head "4202" –

(a) "General Education – Secondary Education – Buildings" – excess of ₹318.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to construction of buildings and additional rooms in various schools.

(b) "Sports and Youth Services - Other Expenditure - Buildings" - excess of ₹132.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹715.00 lakhs) was due to installation of Flood lights in Cricket Stadium in Sector 16, Chandigarh.

(D) Major Head "5055" – "Chandigarh Transport Undertaking - Expansion and Development of Workshop" – excess of ₹114.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48.00 lakhs) was due to purchase of machinery and equipment for workshop.

(E) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – General Pool Accommodation - Accommodation for Government Employees" – excess of ₹390.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to construction and up-gradation of Government Houses.

(F) Major Head "4217" – "State Capital Development – Construction – Other Schemes" – excess of ₹542.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5325.00 lakhs) was due to completion of ongoing works of Urban Development.

(II) Under two heads excess of ₹165.55 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 47 percent and 57 percent of the sanctioned provision.